

प्रकरण संख्या :- 132/2019

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. उगमा पिता जैराम बैरवा निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. शंकरलाल आत्मज भज्जा बैरवा
2. नारायण आत्मज छोगा बैरवा
3. लेहरू आत्मज उदा बैरवा
4. गटु बेवा पन्नलाल बैरवा
5. नारू आत्मज प्यारा बैरवा
6. मांगू आत्मज प्यारा बैरवा
7. किशन आत्मज रामा बैरवा
8. लोभचंद आत्मज जयराम गोदपुत्र बरदा बैरवा

सर्व निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा

—विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी:- श्री चन्द्रभानसिंह राठौड़

अधिवक्ता विपक्षीगण:-.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-31.07.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा की बैरुन हल्का आवादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 4322 रकबा 0.43 हे0, 4323 रकबा 0.40 हे0, 4327 रकबा 0.07, 4328 रकबा 0.06, 4329 रकबा 0.07 कुल कित्ता 05 रकबा 1.03 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 15 व 16 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।


प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

जय शंकर ज. अधिकारी
गंगापूर जिला भीलवाडा

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा की बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजियात संख्या 4322 रकबा 0.43 हे0, 4323 रकबा 0.40 हे0, 4327 रकबा 0.07, 4328 रकबा 0.06, 4329 रकबा 0.07 कुल कित्ता 05 रकबा 1.03 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 15 व 16 पर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काशत में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 500/- (पांच सौ रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 500/- (पांच सौ रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीया अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उप खण्ड अधिकारी
(विष्णु शिव सीतवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

